

3/31



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

File No. DU/1/2018/STGBH/SEOTH/RU-III

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10/12/2019

सेवा में,

- निदेशक,
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्,
शिक्षा भवन, राष्ट्र भाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर,
पटना - 800004

विषय: राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक 161, दिनांक 09-01-2018 के आलोक में पुनः संविदा पर नियुक्ति नहीं करने के संबंध में श्री धर्मेन्द्र उरांव, पिता श्री सुन्दर लाल उरांव, ग्राम दमका, पो. मोहनकुंडा, थाना सदर. जिला - पूर्णिया, बिहार - 854326 का अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने कार्यालय से प्राप्त पत्रांक MGT/PER/JE/272/2013/10018 दिनांक 06.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करें।

माननीय सदस्य के निर्देशानुसार दिनांक 11.12.2019 को 01.30 बजे बैठक निर्धारित की गई थी, वह निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के अस्वस्थ होने के कारण निरस्त की जाती है।

बैठक की अगली तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी।

भवदीय

(आर.क.दुबे)

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित सूचनार्थः

श्री धर्मेन्द्र उरांव, पिता श्री सुन्दर लाल उरांव,
ग्राम दमका, पो. मोहनकुंडा, थाना सदर.
जिला - पूर्णिया, बिहार - 854326